

व्युज टुडे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने "पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत निधियों के अंतरण" पर रिपोर्ट जारी की

ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को निधियों का अंतरण केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग को संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसदीय रिपोर्ट में उठाई गई मुख्य चिंताएं:

- RLBs को मिलने वाली निधियों में लगातार कमी: इससे 73वें संविधान संशोधन के तहत वित्तीय विकेंद्रीकरण की नींव कमजोर होती है।
- बिना शर्त और योजना आधारित निधियों में कमी (बॉक्स देखें): इससे विकास में पंचायतों (PRIs) की भूमिका सीमित हो जाती है। साथ ही, एक स्वशासी संस्था के रूप में उनकी विश्वसनीयता में कमी होने लगती है।
- पंचायतों को 3Fs (कार्य, निधि और पदाधिकारी) का हस्तांतरण: यह अभी भी अधूरा, बिखरा हुआ और राज्यों के स्तर पर असमान बना हुआ है।
- राज्य वित्त आयोगों (SFCs) के गठन में देरी: उदाहरण के लिए- कुछ राज्यों ने तो अभी तक तीसरे, चौथे और पांचवें राज्य वित्त आयोग का गठन भी नहीं किया है।
- कुछ राज्य समय पर लेखा परीक्षण और कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए: अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें

- पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को पर्याप्त, बिना शर्त और प्रदर्शन आधारित निधियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे निधियों की सुरक्षा हो, उनका गलत उपयोग न हो और पारदर्शिता बनी रहे।
- केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों पर राज्य वित्त आयोगों (SFCs) का समय पर गठन करने का दबाव बनाए, ताकि केंद्र से मिलने वाले अनुदान में कोई रुकावट न आए।
- प्रत्येक राज्य द्वारा PRIs को अधिकारों के हस्तांतरण के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए तथा उसे सार्वजनिक करना चाहिए।

2021-22 से 2024-25 के बीच फंडिंग में कमी के कारण

 <p>निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) का अभाव स्थानीय निकायों के चुनाव न होने से फंड आवंटन में बाधा आती है।</p>	 <p>योजनाओं को अपलोड न करना डिजिटल योजना प्रस्तुति का अनुपालन न होने से फंडिंग प्रभावित होती है।</p>	 <p>eGramSwaraj प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण न होना लेन-देनों के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग न करने से फंडिंग में देरी होती है।</p>
 <p>लेखा-परीक्षा (ऑडिट) का अनुपालन न करना लेखा-परीक्षा आवश्यकताओं को पूरा न करने पर फंडिंग में कटौती होती है।</p>	 <p>राज्य वित्त आयोग की निष्क्रियता वित्त आयोग संबंधी कार्यवाही न होने से फंडिंग प्रभावित होती है।</p>	

15वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को दिए जाने वाले अनुदान दो भागों में बांटे गए हैं:

- बिना शर्त अनुदान (40%): इसे संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों के तहत, स्थानीय जरूरतों के अनुसार उपयोग किया जा सकता है।
- सर्त अनुदान (60%): यह अनुदान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पीने के पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाना तय होता है।

"स्टेट्स ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया" रिपोर्ट जारी की गई

इस रिपोर्ट को 29 जुलाई को 'ग्लोबल टाइगर डे' के अवसर पर जारी किया गया। इस रिपोर्ट को भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने मिलकर तैयार किया है।

- इसमें भारत के बाघ विचरण वाले इलाकों में पाई जाने वाली छोटी बिल्ली प्रजातियों की उपस्थिति और उनके व्यवहार का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- जंगल कैट भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली छोटी बिल्ली प्रजाति है। इसके बाद रस्टी-स्पॉटड कैट (दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली) का स्थान है।

- रस्टी-स्पॉटड कैट दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली प्रजाति है।

- भारत में कुल 10 छोटी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें शामिल हैं: पलास कैट, यूरेशियन लिंक्स, जंगल कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, रस्टी-स्पॉटड कैट, मार्बल्ड कैट, एशियाटिक गोल्डन कैट, डेजर्ट कैट और कैरेकल।

छोटी बिल्ली प्रजातियों के बारे में:

- छोटी बिल्ली प्रजातियां शीर्ष मांसाहारी जानवरों का एक विविध समूह हैं। ये फेलिडे कुल के उप-कुल फेलिना के अंतर्गत आती हैं। ये लगभग सभी प्रकार के स्थलीय बायोम (जैसे जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ आदि) में पाई जाती हैं।

बड़ी बिल्ली प्रजातियों से अंतर:

- बड़ी बिल्ली प्रजातियों (जैसे- बाघ, शेर आदि) के गले में लचीली हायाँइड हड्डी होती है, जिससे वे दहाड़ सकती हैं।
- इसके विपरीत, छोटी बिल्ली प्रजातियों के गले में कठोर हायाँइड हड्डी होती है, जिससे वे लगातार चुरचुराने (Purr) की आवाज निकाल सकती हैं।

भारत में पाई जाने वाली प्रमुख छोटी बिल्ली प्रजातियां:

प्रजाति	पर्यावास	विशेषताएं	संरक्षण स्थिति
 एशियाटिक गोल्डन कैट	 <ul style="list-style-type: none"> इंडो-मलायन पारिस्थितिकी क्षेत्र यानी असम, मिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की स्थानिक प्रजाति है। 	 <ul style="list-style-type: none"> प्रादेशिक और अकेले रहने वाली, कभी-कभी जोड़े में भी देखी जाती है। 	 <ul style="list-style-type: none"> IUCN: नीयर श्रेटेंड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: अनुसूची-1
 कैरेकल	 <ul style="list-style-type: none"> शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र भारत में केवल तीन राज्यों (राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश) में ही पाई जाती है। 	 <ul style="list-style-type: none"> इसे सिया गोश भी कहते हैं (इसके कानों पर काले बालों का गुच्छ होता है) यह रात्रिचर, अकेले रहने वाली और प्रादेशिक प्रजाति है। 	 <ul style="list-style-type: none"> IUCN: लीस्ट कंसर्न वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: अनुसूची-1
 फिशिंग कैट	 <ul style="list-style-type: none"> आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र। सुंदरबन, हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। 	 <ul style="list-style-type: none"> रात्रिचर इसके पिछले पैरों में जालीदार पंजे होते हैं, जिससे यह उथले पानी में तैर सकती है। 	 <ul style="list-style-type: none"> IUCN: वल्नरेबल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: अनुसूची-1
 यूरेशियन लिंक्स	 <ul style="list-style-type: none"> मध्य एशिया के बंजर, खूले और पथरीले पहाड़ी-पठारी इलाकों में पाई जाती है। भारत में लद्दाख के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। 	 <ul style="list-style-type: none"> मुख्यतः अकेले रहने वाला, प्रादेशिक और रात्रिचर जीव है। 	 <ul style="list-style-type: none"> IUCN: लीस्ट कंसर्न वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: अनुसूची-1

केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने 'प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रबंधन' पर रिपोर्ट पेश की

CEC की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने 2019-20 से 2023-24 के बीच कुल प्रतिपूरक वनरोपण लक्ष्य का 85% हासिल कर लिया है।

CEC का गठन सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और संरक्षण मामलों की देखरेख के लिए किया है।

प्रतिपूरक वनरोपण के बारे में

यदि वन भूमि का गैर-वन्य उद्देश्यों के लिए 'उपयोग' किया जाता है, तो इसके ही समान भू-क्षेत्र पर वनरोपण का प्रयास करना अनिवार्य है। गैर-वन्य उद्देश्यों में औद्योगिक या अवसंरचना का विकास करना आदि शामिल है। यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत किया जाता है।

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के बारे में

यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के टीएन गोदावरमन बनाम भारत संघ (1995) वाद में दिए गए निर्णय से प्रेरित होकर बनाया गया है।

इसके तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण कोष (CAMPAs) का गठन किया गया है।

इस अधिनियम में केंद्र सरकार और सभी राज्यों के लोक लेखाओं के तहत प्रतिपूरक वनरोपण निधियों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

CEC द्वारा उजागर किए गए प्रतिपूरक वनरोपण निधि जारी करने में निहित मुद्दे

- वार्षिक परिचालन योजना (APO) प्रस्तुत करने में देरी;
- राष्ट्रीय प्राधिकरण की मंजूरी के बावजूद राज्य स्तर पर कई स्वीकृतियां;
- CAMPAs कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी;
- निगरानी का अभाव;
- निधियों का दुरुपयोग आदि।

CEC की सिफारिशें

- संस्थागत व्यवस्था को सशक्त करना: राज्य CAMPAs के शासी निकाय, संचालन समिति और कार्यकारी समिति की नियमित बैठकें होनी चाहिए।
- निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाना: प्रतिपूरक वनरोपण साइट्स की जियो-टैगिंग और ई-ग्रीन वॉच एवं परिवेश (PARIVESH) 2.0 जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जानकारी देना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- अन्य सिफारिशें:
 - निधियों के प्रवाह को सरल बनाना चाहिए;
 - समय पर APO जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए, आदि।

भारत हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ों (GLOFs) के बढ़ते खतरे का सामना कर रहा है

हिमालयी क्षेत्र में GLOFs के कारण गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं, जैसा कि नेपाल की लेंडे नदी में आई अचानक बाढ़ के रूप में देखा जा सकता है। इस संबंध में, प्रभावशाली जोखिम को कम करने और आपदा का सामना करने हेतु तैयार रहने के लिए सीमा-पार अग्रिम चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है।

हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF) क्या है?

- हिमनदीय झीलें: ये पिघलती हुई हिमनदियाँ (Glaciers) से एकत्रित होने वाले जल निकाय हैं। हिमनदियाँ से पिघलने वाली हिम का जल आमतौर पर हिमनदी के किनारे, सामने, भीतर, नीचे या सतह पर संचित होता है।
- GLOF: यह एक प्रकार की बाढ़ है। हिमनदीय झील के जल को रोक कर रखने वाले प्राकृतिक तटबंधों (जैसे कि हिमोढ़) के टूट जाने से अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढलान की दिशा में जल का प्रवाह होने लगता है।
 - उदाहरण के लिए: अक्टूबर 2023 में सिक्किम में दक्षिणी ल्होक झील के टूटने से GLOF की घटना घटित हुई थी।
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में 11 नदी घाटियाँ और 28,000 हिमनदीय झीलें (हिमनद के पिघलने से निर्मित जल निकाय) हैं। हिमनदीय झीलों के दो मुख्य प्रकार हैं:
 - सुप्राग्लेशियल झीलें: इनका निर्माण हिमनदी की सतह पर मौजूद गड्ढे या गर्त में हिमनद के पिघले जल के जमा होने से होता है। इनका निर्माण अधिकतर गर्मियों के दौरान होता है, जब बर्फ के पिघलने की दर अधिक होती है।
 - हिमोढ़-तटबंध से निर्मित झीलें: ये हिमनद के अग्र भाग में असंगठित मलबे से बने अवरोध या तटबंध के पीछे हिमनद से पिघल कर आए जल के एकत्र होने से बनती हैं। ये तटबंध मजबूत नहीं होते, इसलिए इनके टूटने का खतरा बना रहता है।

IHR में GLOFs की घटना बढ़ने के कारण

- GLOFs के लिए जिम्मेदार कारक:
 - GLOF की 2/3 घटनाएं हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण होती हैं।
 - शेष GLOF घटनाएं असंगठित हिमोढ़ तटबंधों पर हिमनदों से पिघल कर आए अत्यधिक जल के दबाव के कारण उन तटबंधों के टूटने (2013 में चोराबाड़ी GLOF) और भूकंप के कारण होती हैं।
- बढ़ता तापमान और पिघलते हिमनद: 2023 और 2024 पृथ्वी पर सबसे गर्म वर्ष थे, जिसके कारण तापमान में वृद्धि हुई और हिमनदों के पिघलने में बढ़ोतरी हुई।
- निगरानी से जुड़ी चुनौतियाँ: 7,500 हिमनदीय झीलें 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। अतः ग्रीष्म ऋतु की छोटी अवधि में सभी का सर्वेक्षण करना कठिन हो जाता है।

भारत की GLOF जोखिम शमन रणनीति

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति (CoDRR) के माध्यम से, केवल आपदा के बाद की कार्रवाई की बजाए जोखिम न्यूनीकरण को सुनिश्चित करने हेतु एक अग्रसक्रिय नजरिया अपनाया है।
- राष्ट्रीय हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ जोखिम शमन परियोजना चार राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में कार्यान्वित की जा रही है।
- केंद्रीय जल आयोग (CWC) अब उपग्रह इमेजरी के माध्यम से हिमालय में 902 हिमनदीय झीलों और जल निकायों की निगरानी करता है।
- सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) इमेजरी का बाढ़ वाले मानसून के महीनों के दौरान भी हिमनदीय झील के आकार में परिवर्तन का स्वचालित रूप से पता लगाने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

रूस के सुदूर-पूर्व में भूकंप आने से प्रशांत महासागर में सुनामी आई

रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे प्रशांत महासागर में कुरिल द्वीप समूह के पास सुनामी की लहरें देखी गईं।

सुनामी के बारे में

- सुनामी अत्यधिक लंबी तरंगों की एक श्रृंखला होती है, जो समुद्री जल के बड़े और अचानक विस्थापन के कारण बनती है। ऐसा आमतौर पर समुद्र नितल के नीचे या उसके पास आए भूकंप से होता है। उदाहरण के लिए- 2004 हिंद महासागर सुनामी।
- कारक: भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, ग्लेशियर का टूटना, उल्कापिंड और पानी के भीतर होने वाले अन्य विस्फोट (परमाणु विस्फोट सहित)।
- सुनामी की घटनाएं प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में अधिक देखी जाती हैं।
 - रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखियों की एक पट्टी है।

सुनामी तरंगों की विशेषताएं:

- वेवलेंथ: इनकी गति और वेवलेंथ मुख्य रूप से समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है, स्रोत की दूरी पर नहीं।
 - गहरे समुद्र में वेवलेंथ लगभग 200 किमी होती है और तट के पास जल के उथले होने के कारण यह 20 किमी से कम हो जाती है।
- तरंगों की ऊंचाई (आयाम): गहरे महासागरीय क्षेत्रों में जहाज इन्हें अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है।
 - हालांकि, जैसे-जैसे यह तरंगे उथले पानी की ओर बढ़ती है, इनकी ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है।

परिणाम:

- सामाजिक-आर्थिक: संपत्ति का विनाश, जीवन और आजीविका का नुकसान आदि।
- पर्यावरणीय: मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों व ज्वारनदमुख का विनाश। साथ ही मृदा और जल का प्रदूषण।
- अन्य: आवश्यक सेवाओं में बाधा, मनोवैज्ञानिक तनाव आदि।

सुनामी के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश

- बहु-स्तरीय संस्थागत ढांचा: तैयारी, शमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए NDMA, SDMAs (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) एवं DDMAAs (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) जैसे बहु-स्तरीय संस्थागत ढांचे को अनिवार्य किया गया है।
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और आकलन: प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना और खतरे व सुभेद्यता का आकलन करना।
- प्रभावी शमन उपाय:
 - भूमि उपयोग योजना बनाना;
 - जैव-कवच, मैंग्रोव को फिर से उगाना जैसे प्राकृतिक अवरोध विकसित करना;
 - महत्वपूर्ण अवसंरचना की रक्षा करना आदि।
- जन जागरूकता और प्रशिक्षण: सभी हितधारक समूहों में जन जागरूकता, शिक्षा एवं व्यापक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

एक नए अध्ययन में भारतीय उपमहाद्वीप में फ्लैश फ्लड के जोखिम वाले हॉटस्पॉट्स का मानचित्रण किया गया

अध्ययन में पाया गया है कि फ्लैश फ्लड की घटनाएं मुख्य रूप से हिमालय, पश्चिमी तट और मध्य भारत में घटित होती हैं।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- ▶ फ्लैश फ्लड की घटनाओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील उप-बेसिन ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, ब्राह्मणी और पश्चिमी तट के नदी बेसिनों में स्थित हैं।
- ▶ गोदावरी, गंगा, माही और सिंधु नदी घाटियों के कुछ हिस्सों में भी फ्लैश फ्लड की उच्च संवेदनशीलता देखी गई है।

फ्लैश फ्लड या आकस्मिक बाढ़ क्या है?

- ▶ परिभाषा: यह बहुत कम समय के लिए आने वाली प्रचंड बाढ़ होती है। इसमें जल का स्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। WMO, 2006 के अनुसार फ्लैश फ्लड के लिए जिम्मेदार कारण (जैसे भारी बारिश) से लेकर फ्लैश फ्लड आने में लगभग 4 से 6 घंटे का समय लगता है।

▶ फ्लैश फ्लड और भारत:

- ⊕ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-2022 के बीच फ्लैश फ्लड की घटनाओं की संख्या 132 से बढ़कर 184 हो गई।
- ⊕ हर साल फ्लैश फ्लड के कारण 5,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है।

फ्लैश फ्लड के लिए जिम्मेदार कारक

- ▶ फ्लैश फ्लड की 25% घटनाएं आमतौर पर बादल फटने से होने वाली भारी बारिश के 6 घंटे के भीतर घटित होती है। उदाहरण के लिए- हिमालयी क्षेत्र।
- ▶ पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढलान वाली स्थलाकृति और संकीर्ण नदी जलमार्ग: यह स्थिति तेजी से जल संचय और निचले इलाकों की ओर जल के तीव्र प्रवाह को सुगम बनाती है।
- ▶ संतृप्त मृदा (कंक्रीट व सड़कों के कारण): जब जमीन पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है या सीमेंट-कंक्रीट की सड़के बन जाती हैं, तो जल मिट्टी में नहीं समा पाता। इस कारण, वह जल ऊपर-ही-ऊपर सतह पर बहने लगता है।
- ▶ जब ऊपरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होने से बांध, तटबंध या चेक डैम में पानी का दबाव बहुत बढ़ जाता है, तो कभी-कभी उन्हें अचानक खोलने से भी फ्लैश फ्लड की घटना घटित होती है।

बाढ़ शमन रणनीतियां



अग्रिम चेतावनी प्रणाली

क्षेत्र-विशेष प्रणालियां मृदा की संतृप्तता, वर्षा पैटर्न आदि को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए।



अपडेटेड जोखिम मानचित्रण

बाढ़ क्षेत्रों के बाहर उभरते हुए हॉटस्पॉट्स पर निगरानी बढ़ानी चाहिए।



क्लाइमेट-रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर

रेजिलिएंट के लिए जल निकासी, तटबंध, और जल संचयन संरचनाएं बनानी चाहिए।



भूमि उपयोग योजना

संवेदनशील क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोकने के लिए उचित योजना बनानी चाहिए।

फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम (FFGS): अग्रिम चेतावनी और जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक साधन

- ▶ FFGS वस्तुतः रियल टाइम में अग्रिम चेतावनी साधन है, जो फ्लैश फ्लड के खतरे की 6-24 घंटे पहले सूचना देता है।
- ▶ यह 2020 से काम कर रहा है।
- ▶ यह दक्षिण एशियाई देशों (भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका) के लिए एक क्षेत्रीय पहल का हिस्सा है।
- ▶ तकनीकी विशेषताएं:
 - ⊕ यह 4 किमी x 4 किमी स्थानिक कवरेज के साथ हाई-रिज़ॉल्यूशन पूर्वानुमान प्रदान करता है।
 - ⊕ यह जलग्रहण स्तर पर काम करता है, तथा संवेदनशील हिमालयी भू-भाग और शहरी फ्लैश फ्लड प्रवण क्षेत्रों पर फोकस करता है।



अन्य सुविधाएं



वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund: AIF)

RBI ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर विनियमित संस्थाओं द्वारा AIF योजना की कुल राशि के 20% तक निवेश करने की सीमा तय कर दी है।

वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के बारे में

- ▶ यह भारत में पंजीकृत फंड आधारित संस्था है, जो निजी रूप से निवेश जुटाती है। साथ ही, ये अपने निवेशकों के लाभ के लिए निर्धारित निवेश नीति के अनुसार, निवेश करने हेतु भारतीय या विदेशी अनुभवी निवेशकों से फंड भी एकत्रित करता है।
- ▶ इनका विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा SEBI (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत किया जाता है।

AIF की श्रेणियां

- ▶ श्रेणी I: ये स्टार्ट-अप, सोशल वेंचर, लघु और मध्यम उद्यम (SME) आदि में निवेश करते हैं।
 - ⊕ इनके उदाहरण हैं- वेंचर कैपिटल फंड, SME फंड आदि।
- ▶ श्रेणी II: ये इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
 - ⊕ इनके उदाहरण हैं: रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड आदि।
- ▶ श्रेणी III: ये फंड्स रिटर्न बढ़ाने के लिए निवेश उधारी लेकर निवेश करते हैं, जिनमें सूचीबद्ध डेरिवेटिव्स में निवेश भी शामिल है।
 - ⊕ इनके उदाहरण हैं: हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी (PIPE) फंड आदि।



पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (CGPDTM)

पेटेंट कार्यालय (CGPDTM) ने कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों (CRLs) की जांच के लिए संशोधित दिशा-निर्देश 2025 जारी किए हैं।

CGPDTM के बारे में

- ▶ मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT)
- ▶ CGPDTM कार्यालय: मुंबई
- ▶ CGPDTM के कार्य:
 - ⊕ पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत (GI) संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।
 - ⊕ बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देता है।
 - ⊕ सभी IP रजिस्ट्रियों और संबंधित संस्थानों के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है।



सत्यमेव जयते

**Controller
General of
Patents, Designs
and Trade Marks
(CGPDTM)**

ऑपरेशन महादेव

केंद्र सरकार ने लोक सभा में बताया कि पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार तीन पाकिस्तानी आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं।

ऑपरेशन महादेव के बारे में

- यह भारतीय सेना, CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी मिशन है।
- उद्देश्य: लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान-आधारित समूहों के समर्थन से कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने वाले विदेशी आतंकवादियों का सफाया करना।

काजीरंगा टाइगर रिजर्व (KTR)

काजीरंगा टाइगर रिजर्व में कर्नाटक के बांदीपुर और उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया है।

KTR के बारे में

- इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
- 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
- इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
- स्थान: यह पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है।
- ⊖ यह ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी (मिकिर) पहाड़ियों के बीच स्थित है।
- जीव-जंतु: ग्रेटर एक-सींग वाला गैंडा (इसकी जनसंख्या का 70%), हाथी, जंगली भैंस, दलदली हिरण, बाघ आदि।
- पक्षी: लेसर व्हाइट-फ्रंटेड गूज, फेरुजिनस डक, बापर का पोचाई डक, लेसर एडजुटेड और ग्रेटर एडजुटेड आदि पक्षी सर्दियों में मध्य एशिया से प्रवास करते हैं।

स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड

कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड को मापनीय सामाजिक प्रभाव प्रदान करने वाला साधन बताया है।

स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड के बारे में

- यह भारत में पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड है जो कौशल प्रशिक्षण और नौकरी प्रदान करने के लिए समर्पित है।
- उद्देश्य: चार वर्षों में 50,000 युवा भारतीयों को लाभान्वित करना, जिसमें 60% लाभार्थी महिलाएं होंगी।
- शुरुआत: 2021 में।
- संबंधित मंत्रालय: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।

प्रलय मिसाइल

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट पर प्रलय मिसाइल के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किए।

प्रलय मिसाइल के बारे में:

- प्रलय एक सतह-से-सतह पर मार करने वाली कम दूरी की ठोस प्रणोदक क्रासी-बैलिस्टिक मिसाइल है, जो हाइपरसोनिक गति (मैक 5 से ऊपर) से उड़ान भर सकती है।
- ⊖ क्राजी-बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कम ऊंचाई पर बैलिस्टिक मार्ग अपनाती हैं। ये उड़ान के दौरान जरूरत पड़ने पर दिशा और मार्ग बदल सकती हैं।
- ⊖ स्वदेशी रूप से विकसित: इसे हैदराबाद स्थित DRDO की सुविधा रिसर्च सेंटर इमारत ने अन्य सुविधाओं के सहयोग से विकसित किया है।
- मारक क्षमता: 150 से 500 किमी।

रातड़िया री डेरी

राजस्थान के शुष्क (सूखे) क्षेत्र में पहली बार एक हड़प्पा सभ्यता की बस्ती मिली है, जो रातड़िया री डेरी नामक स्थल पर स्थित है।

रातड़िया री डेरी के बारे में:

- समय-अवधि: यह सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व शहरी चरण (2600 से 1900 ईसा पूर्व) से संबंधित है।
- स्थान: यह लगभग 4,500 साल पुरानी बस्ती राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है।
- महत्व:
 - ⊖ यह खोज पुरातात्विक मानचित्र पर एक बड़ी कमी को पूरा करती है। यह उत्तरी राजस्थान और गुजरात में स्थित आद्य हड़प्पा स्थलों के बीच संबंध जोड़ती है।
- राजस्थान में अन्य सिंधु घाटी बस्तियां:
 - कालीबंगा: यह उत्तरी राजस्थान में स्थित है। इसे लगभग 2900 ईसा पूर्व एक योजनाबद्ध शहर के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी खोज इटालियन इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्सीटोरी ने की थी।

डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI)

पिछले 6 वित्तीय वर्षों में भारतीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन हुए हैं, जिनका मूल्य लगभग 12,000 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI) के बारे में

- RBI ने DPI (जो आधिकारिक रूप से हर छमाही आधार पर प्रकाशित होता है) को भारत में डिजिटल भुगतान सुविधा को अपनाने में हुई प्रगति को मापने के लिए विकसित किया है।
- DPI में निम्नलिखित व्यापक पैरामीटर शामिल हैं: भुगतान सक्षमकर्ता; भुगतान अवसंरचना - मांग-पक्ष कारक और आपूर्ति-पक्ष कारक; भुगतान प्रदर्शन; उपभोक्ता केंद्रीयता।
- नवीनतम RBI-DPI के अनुसार, 2018 से अब तक डिजिटल भुगतान की पैठ में चार गुना वृद्धि हुई है।

सुर्खियों में रहे स्थल



सीरिया (राजधानी: दमिश्क)

असद शासन के पतन के बाद भारत की पहली आधिकारिक पहल के तहत, विदेश मंत्रालय (MEA) के अधिकारियों ने सीरिया की अंतरिम सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की।

राजनीतिक विशेषताएं:

- यह पश्चिम एशिया में स्थित है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट (पश्चिम) पर, लेवेंट क्षेत्र में है।
- सीमावर्ती देश: उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन, पश्चिम में इजरायल और लेबनान है।

भौगोलिक विशेषताएं

- प्रमुख भौतिक क्षेत्र: सीरियाई मरुस्थल, यूफ्रेट्स नदी घाटी और एंटी-लेबनान पर्वत (लेबनान के साथ सीरिया की सीमा को चिह्नित करते हैं)।
- प्रमुख नदियां: फ़रात, ओरोन्टेस, टिगरिस।
- प्रमुख संघर्षरत शहर: अलेप्पो, होम्स, इदलिव, गोलान हाइट्स (इजरायल के साथ विवादित क्षेत्र) आदि।

